

25/08/2024

वकील वारी ने उपास्थित लोक शीघ्र
दुनवाई का प्रारंभ पेश किया जो स्वीकार
किया गया। पत्रावली पेश हुई परिवारीगणों
की तरफ से वकील श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा
वकालतनामा एवं जबाब रकबा की प्रस्तुत
का वाद पत्र में कथित तथ्यों को स्वीकार
किया गया। वकील वारी की ओर से
बहस अंतिम हुनी गई। वकील
परिवारी की ओर से वादपत्र के तथ्यों पर
सहमति प्रदान की गई। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। वादपत्र स्वीकार किया जाकर
विस्तृत निर्णय पत्रक से टंकित कराया गया।
पत्रावली फंसल शुरू होकर लोक नम्बर से
कम है।

उपखण्ड अधिकारी
भदोसर, जिला-चित्तौड़गढ़

